

10/11/20

पत्रावली पेश हुई। P.O. साहेब राजपूत
 व पत्रावली के कारण
 कार्यवाही नहीं जा सकी
 पत्रावली दिनांक 5/1/21
 को पेश हो ।

05.01.2021

पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्राची
 उपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से
 यह प्रतीत होता है कि प्राची अधिवक्ता
 द्वारा मूलवाद और प्रार्थना पत्र में
 न्यायालय आदेशों की पालना नहीं की
 जा रही है अतः न्यायादित में इस
 प्रार्थना पत्र बाबत अध्यायी निवेधाना
 को कार्रज किया जाता है। पत्र
 पत्रावली फौजदारी शुमार
 डोक 22 के अंतर्गत से पत्र डोक
 दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 05/1/2021
 को लुके न्यायालय में अदर इजबास
 सुनाया गया।

Kant
 05/1

जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
 कस्बा जिला-जयपुर

